

9/5/22

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची के प्राचीन के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। वादपत्र खारिज किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही उपस्थित नहीं है। प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी दिनांक 14/02/20 को अस्थायी विधेयालय में निरस्त की जाती है। पत्रावली गिनती निकाल गन्वर से कम होकर वाकिल क्लरक



उपस्थित अधिवक्ता (राजस्व)
श्री करणपुर